मानननीय न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के समक्ष

जितेश

बनाम

हरियाणा राज्य एवं

सी.डब्ल्यू.पी. *2004* का क्रमांक *14364*

12 दिसंबर**, 2008**

भारत का संविधान, **1950-**अनुच्छेद। **226-**हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम**, 2003-**नियम **3(**के**)** और **18-**याचिकाकर्ता के माता-पिता की मृत्यु हो गई-अनुग्रह रोजगार के लिए आवेदन करने वाले वयस्क होने पर-नियम यह प्रदान करते हैं कि ऐसे अनाथों का दावा एक बच्चे तक जीवित रहेगा सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए वयस्क या न्यूनतम पात्र आयु प्राप्त कर लेता है-याचिकाकर्ता का छोटा भाई सड़क पर फेरीवाले के रूप में सब्जियां बेचता है-याचिका स्वीकार की गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता ने **11** नवंबर**, 1983** को एक दुखद दुर्घटना में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया था, जब वह लगभग नौ साल नौ महीने का था। वह नियमों की धारा **3(**के**)** में दी गई 'अनाथ' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। नियम **18** द्वारा 'नियमों' में ढील देने के लिए एक विशेष अपवाद भी तैयार किया गया है, जो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि नियमों में छूट उन बच्चों के मामलों में दी जानी चाहिए जो 'करेंगे' शब्द के

इस्तेमाल के कारण अनाथ हो गए हैं। 'नियमों' के आगे अवलोकन से पता चलता है कि ऐसे अनाथों का दावा तब तक 'जीवित' रहेगा जब तक कि एक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता या सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्य आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

(पैरा 9)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया, कि याचिकाकर्ता ने वर्ष **2004** में **10+2** की योग्यता हासिल की थी, जब वह लगभग **21** वर्ष (अब **25+**) की आयु प्राप्त कर चुका था और वह एक उपयुक्त नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। यह भी बताना उचित होगा कि उनका छोटा भाई, जो लगभग **20** वर्ष का है, अब रेहड़ी पर सब्जी बेचता है। इसलिए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि याचिकाकर्ता ने अपनी गरीबी पर काबू पा लिया है। ऐसी जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए ही नियम **18** में छूट का प्रावधान है और अनाथ के दावे को तब तक जीवित रखा गया है जब तक वह सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए वयस्क नहीं हो जाता। अत: यह याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। (पैरा **9**)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील एस, पी, खत्री।

सुश्री पालिका मोंगा, एएजी हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए।

एम. एम. कुमार, जे.

(1) याचिकाकर्ता एक असहाय अनाथ है और उस पर प्रतिवादी राज्य द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत प्रतिवादियों को अनुग्रह रोजगार योजना या नियमों के अनुसार उपयुक्त पद पर नियुक्त करने के लिए उचित निर्देश जारी

करने के लिए तत्काल याचिका दायर की है। 1 अगस्त, 2006 को एक डिवीजन बेंच द्वारा जिसमें से हम में से एक (म. म. कुमार, जे।) एक सदस्य था, रिट याचिका की अनुमति दी गई थी, प्रतिवादी राज्य की रक्षा को खारिज करके, जो कि लिखित बयान दाखिल करने के लिए 10,000 रुपये की लागत का भुगतान नहीं करने के लिए टालमटोल कर रहा था। 1 अगस्त, 2006 के फैसले के खिलाफ, प्रतिवादी राज्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 10 मार्च 2008 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सिविल) संख्या 12517 सन् 2007 में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

"इस मामले में विभाग को लिखित बयान दाखिल न करने पर **10,000** रुपये की लागत जमा करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं । इसलिए मामला विभाग के खिलाफ तय हुआ।

चूंकि विभाग **10,000** रुपये की लागत का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक है। निम्नलिखित आदेश पारित किया जा रहा है:

विभाग को आज से आठ सप्ताह के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। **10,000** रुपये की लागत शर्त के रूप में कर्मचारी को भुगतान किया जाएगा। उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि मामले की सुनवाई यथासंभव शीघ्र और अधिमानतः लिखित बयान दाखिल करने की तारीख से छह महीने के भीतर की जाए।

विशेष अनुमति याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।”

(2) अब 10,000 रुपये की लागत का भुगतान किया जा चुका है और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का लिखित बयान पहले ही रिकॉर्ड में ले लिया गया है।

(3) याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसकी मां जेबीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत थीं, जिनकी 6 सितंबर, 1993 को एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उनके पिता के साथ मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के समय याचिकाकर्ता नौ साल नौ महीने से कम उम्र का था और उसका जन्म 11 नवंबर, 1983 को हुआ था। उसने 11 नवंबर, 2001 को वयस्कता प्राप्त की और उस समय प्रचलित एक्सग्रेसिया रोजगार योजना के तहत 6 मई, 2003 को अनुग्रह रोजगार के लिए एक आवेदन दायर किया (पी-5) । यह दावा किया गया है कि उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम हिमांसु डेम्बला है, जो अपने माता-पिता की मृत्यु के समय 5 वर्ष का था, और आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण वह रेहड़ी पर सब्जी बेचता है। याचिकाकर्ता के पिता फ़रीदाबाद में एक निजी फर्म में कर्मचारी थे और उनकी सेवा का कोई लाभ याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2004 में 10+2 की योग्यता हासिल की है। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा ने एक अभ्यावेदन पर 22 जनवरी, 1994 को मुख्य सचिव को याचिकाकर्ता के रूप में उनके लिए एक पद आरक्षित करने के लिए एक पत्र भेजा था। 17 वर्ष से कम उम्र का था । उपर्युक्त संचार इस प्रकार है:-

"मृतक संतोष देवी जेबीटी टीचर प्राइमरी स्कूल डकोला, जिला फरीदाबाद में तैनात थीं। सेवा के दौरान 6 सितंबर, 1993 को उनकी मृत्यु हो गई, मृत कर्मचारी के ससुर ने अनुरोध किया है क्योंकि वह

सेवा नहीं चाहते हैं और उनके बच्चे नाबालिग हैं और उनमें से एक जितेश डेंबला चौथी कक्षा में पढ़ता है और उसकी जन्मतिथि 11 नवम्बर 1983 है। शासन की एक्सग्रेशिया योजना के अनुसार सेवा हेतु संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी आयु 17 वर्ष से कम है। कृपया उसके लिए पद आरक्षित रखें, ताकि 17 वर्ष की आयु में सेवा का संकल्प भेजने पर उसे सेवा की सुविधा मिल सके। इस संबंध में संबंधित दस्तावेज संलग्न हैं। मृतक कर्मचारी सरकार का स्थायी कर्मचारी था।

(एसडी/-) . . .,

संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए।

दिनांक: 22 जनवरी, 1994"

(4) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दायर लिखित बयान में यह रुख अपनाया गया कि 6 सितंबर, 1993 को जब याचिकाकर्ता के माता और पिता की मृत्यु हुई, तब वह 9 साल 9 महीने और 25 दिन का था और उसे कोई भी रोजगार पेश नहीं किया जा सकता था। हालाँकि, उस वर्ष उन्होंने अपने लिए एक पद आरक्षित करने के अनुरोध के साथ प्रतिवादी विभाग से संपर्क किया। यह दावा किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किसी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से तीन साल के भीतर किया जा सकता है और ऐसी नियुक्ति का दावा निहित अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है, जिसका दावा किसी भी समय किया जा सकता है। घिसे-पिटे और बार-बार उद्धृत किए जाने वाले बचाव को भी इस सहजता से लिया गया है कि

अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को उस वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है जो परिवार के सामने रोटी कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति की मृत्यु पर उत्पन्न होता है और उसके बाद समय की चूक या संकट समाप्त होने के बाद इसका दावा नहीं किया जा सकता है। ऐसी योजना का उद्देश्य परिवार को वित्तीय विपन्नता और आपातकाल से उबरने में मदद करना इससे राहत दिलाना है। याचिकाकर्ता के तर्क का यह कहते हुए विरोध किया गया है कि तत्काल याचिका में देरी हो रही है क्योंकि याचिका 11 साल के अंतराल के बाद वर्ष 2004 में दायर की गई है। उत्तरदाताओं ने यह भी दावा किया है कि उनकी मां, जो एक जेबीटी शिक्षक थीं, को दिए गए पेंशन लाभ उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे। अनुग्रह योजना के संबंध में 8 मई, 1995 के नीति निर्देशों पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नीति निर्देशों (आर-एल) के तहत किसी भी पद को आरक्षित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुना है और उनकी सक्षम सहायता से पेपर बुक का अध्ययन किया है। प्रतिवादी राज्य में अनुकंपा नियुक्तियाँ वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित होती हैं जिन्हें हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2003 (संक्षिप्तता के लिए, 'नियम') के रूप में जाना जाता है। नियमों का नियम 3(के) 'अनाथ' शब्द को परिभाषित करता है और नियम 18 'अनाथों' के मामले में एक विशेष अपवाद बनाकर नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट पर रोक लगाता

है। उपरोक्त दोनों नियम विवाद का निर्णय करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस प्रकार हैं:-

"3(के) "अनाथ" का अर्थ है वह बच्चा जिसने पहले अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया हो और सरकारी कर्मचारी के निधन पर अनाथ हो गया हो;"

"**18.** इन नियमों के किसी भी प्रावधान में कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालाँकि, एक विशेष मामले के रूप में, इन नियमों में केवल उन बच्चों के मामलों में छूट दी जाएगी जो सरकारी कर्मचारी के निधन पर अनाथ हो गए हैं। ऐसे अनाथ बच्चों की नियुक्ति का दावा तब तक जीवित रहेगा जब तक कि एक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता/सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्य आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

(6) उपरोक्त नियम कुमारी बंदना शर्मा बनाम हरियाणा राज्य के मामले में इस न्यायालय के समक्ष व्याख्या के लिए आए, **(1)**। डिवीजन बेंच, जिसमें हम में से एक (एम.एम. कुमार, जे.) सदस्य थे, ने अभिव्यक्ति 'अनाथ' और नियम **18** की व्याख्या की है।

डिवीजन बेंच ने उस मामले के तथ्यों को पैरा **6** में भी देखा था, जो इस प्रकार है: -

"**6.** 'अनाथ' शब्द की परिभाषा के अवलोकन से पता चलता है कि यदि किसी बच्चे ने अपने माता-पिता में से किसी एक को पहले चरण में खो दिया है तो वह सरकारी कर्मचारी के निधन पर अनाथ हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो बच्चों को अनाथ माना जाएगा। नियम **18** अनाथों के मामले में एक अपवाद पेश करता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे अनाथ हो

गए हैं, उनके मामलों में नियमों में छूट दी जानी चाहिए। नियम में 'आराम' शब्द से पहले 'करेगा' शब्द का उपयोग यह इंगित करेगा कि नियम अनिवार्य है और इसे तब तक जीवित रहना चाहिए जब तक कि एक बच्चा सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए वयस्क/न्यूनतम योग्य आयु प्राप्त न कर ले। पुनः 'जीवित रहेंगे' से पहले 'होगा' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जिसने 1988 और 1993 में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है, उसे अनाथ माना जाना चाहिए और नियमों में ढील देकर उसके मामले पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह रिकॉर्ड में आया है कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 9 जुलाई, 1980 है। उसने बी.ए.बी.एड की योग्यता हासिल कर ली है। और फिर 28 जुलाई, 2004 को उत्तरदाताओं को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। उसके दावे को नियमों के नियम 18 के साथ पढ़े गए नियम 3 (के) के प्रकाश में उसके मामले की जांच किए बिना खारिज कर दिया गया है, इस सिद्धांत को लागू करते हुए कि याचिकाकर्ता को आवेदन अपनी माँ की मृत्यु के तीन वर्ष के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए करना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, उसे वर्ष 1996 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना पड़ा जब वह 15-16 वर्ष की थी। उस समय वह सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए योग्य नहीं थी और न ही उसके पास अपेक्षित योग्यता थी। याचिकाकर्ता के मामले पर नियमों में ढील देकर और उस अवधि पर जोर दिए बिना विचार करने की आवश्यकता है जिसके भीतर उसे आवेदन करना आवश्यक था। नियमों के नियम 18 के अनुसार, वह वयस्क होने की आयु या सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्र आयु प्राप्त करने

पर आवेदन कर सकती थी और नियुक्ति के लिए उसका दावा जीवित रहना था। इसलिए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का हकदार है।"

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एस.पी. खत्री ने प्रस्तुत किया है कि कुमारी बंदना शर्मा (सुप्रा) के मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति अपील (सिविल) संख्या **2492/2007** को **28** सितंबर, **2007** तारीख को खारिज कर दिया गया है। वर्तमान मामले के तथ्य कुमारी बंदना शर्मा के मामले (सुप्रा) के समान हैं क्योंकि इस मामले में भी याचिकाकर्ता ने कई वर्षों की देरी के बाद आवेदन किया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के पास **10+2** की योग्यता है और वह अब **24** वर्ष से अधिक का हो गया है। वह तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति की योग्यता पूरी करता है।

(8) हालांकि, राज्य की विद्वान वकील सुश्री पालिका मोंगा ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा क्योंकि वह **11** वर्षों की लंबी अवधि तक अनाथालय के हमले से बच गया है, जो स्वयं दिखाएगा कि वहां कोई वित्तीय संकट नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य **(2)** के मामले में निर्धारित सिद्धांत याचिकाकर्ता के मामले पर पूरी तरह से लागू होंगे और याचिका खारिज होने योग्य है।

(9) हमने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचारपूर्वक विचार किया है और हमारा विचार है कि यह मामला कुमारी बंदना शर्मा के मामले (सुप्रा) में दिए गए इस न्यायालय के फैसले से कवर होता है। याचिकाकर्ता ने **11** नवंबर, **1983** को एक दुखद दुर्घटना में अपने माता-पिता दोनों को खो

दिया था, जब वह लगभग नौ साल नौ महीने का था। वह नियमों की धारा 3(के) में दी गई 'अनाथ' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। नियम 18 द्वारा 'नियमों' में ढील देने के लिए एक विशेष अपवाद भी तैयार किया गया है, जो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि नियमों में छूट उन बच्चों के मामलों में दी जानी चाहिए जो 'करेंगे' शब्द के इस्तेमाल के कारण अनाथ हो गए हैं। 'नियमों' के आगे अध्ययन से पता चलता है कि ऐसे अनाथों का दावा तब तक 'जीवित' रहेगा जब तक कि एक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता या सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्य आयु प्राप्त नहीं कर लेता। कुमारी बंदना शर्मा के मामले (सुप्रा) में भी ऐसी ही स्थिति बनी और डिवीजन बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली। वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ता ने वर्ष 2004 में 10+2 की योग्यता हासिल की थी, जब वह लगभग 21 वर्ष (अब 25+) की आयु प्राप्त कर चुका था और वह एक उपयुक्त नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। यह भी बताना उचित होगा कि उनका छोटा भाई, जो लगभग 20 वर्ष का है, अब रेहड़ी पर सब्जी बेचता है। इसलिए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि याचिकाकर्ता ने अपनी गरीबी पर काबू पा लिया है। ऐसी जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए ही नियम 18 में छूट का प्रावधान है और अनाथ के दावे को तब तक जीवित रखा गया है जब तक वह सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए वयस्क नहीं हो जाता। अत: यह याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

(10) उमेश कुमार नागपाल के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर विद्वान राज्य वकील द्वारा की गई प्रस्तुति के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि

मामले में उनके आधिपत्य द्वारा जारी निर्देशों पर विचार किया जा रहा था। प्रतिवादी राज्य हरियाणा पर इस न्यायालय द्वारा इस हद तक प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी कि क्लास- **II** या उच्च पद के विरुद्ध कोई अनुकंपा रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि एकमात्र आधार जो अनुकंपा रोजगार को उचित ठहरा सकता है वह मृतक परिवार की दयनीय स्थिति है। हालाँकि, वर्तमान मामले में **2003** के वैधानिक नियम लागू हैं और एक बार नियम लागू हो जाते हैं और पूरी तरह से लागू हो जाते हैं तो इस निष्कर्ष से बच नहीं सकते कि याचिकाकर्ता नियुक्ति पाने का हकदार है। उमेश कुमार नागपाल के मामले (सुप्रा) में दावा किसी अनाथ द्वारा नहीं किया गया था, जो नियमों के नियम **18** के साथ पढ़े गए नियम **3** (के) के तहत दी गई परिभाषा के आधार पर एक अलग श्रेणी का गठन करता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता और उसका भाई लगातार गरीबी में जी रहे हैं, जो इस मामले को उमेश कुमार नागपाल के मामले में की गई टिप्पणियों के और भी करीब लाता है। इसलिए, हम विद्वान राज्य वकील के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं कि उमेश कुमार नागपाल के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून कुल मिलाकर वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होगा।

(11) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, रिट याचिका सफल होती है। प्रतिवादियों को आज से दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को तृतीय श्रेणी के किसी पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

(12) रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

कुरूक्षेत्र, हरियाणा

1

[1](1) 2006(4) एस.एल.आर. 37

(2) (1994) 4 एस.सी.सी. 138